

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 280]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 2 जून 2011—ज्येष्ठ 12, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 जून 2011

क्र. एफ.ए-3-11-2011-1-पांच-(52).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को उक्त सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधधीन उक्त अधिनियम के अधीन, कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है:—

सारणी

माल का वर्ग (1)	छूट की सीमा (2)	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अधधीन छूट प्रदान की गई है. (3)
सभी प्रकार के इस्पात के एंगल्स	अंशतः इस प्रकार कि प्रवेश कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए.	जब कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट माल का किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के बाहर से किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जाए.

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2011 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 जून 2011

क्र. एफ. ए-3-11-2011-1-पांच (52).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए-3-11-2011-1-पांच (52), दिनांक 2 जून 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 2nd June 2011

No. F-A-3-11-2011-1-V (52).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, exempts the class of goods specified in column (1) of the Table below from payment of tax under the said Act to the extent specified in column (2) subject to the restrictions and conditions specified in column (3) of the said Table.:

TABLE

Class of Goods (1)	Extent of exemption (2)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (3)
All kinds of steel angles	Partly so as to reduce the rate of entry tax to 2 percent.	When the goods specified in column (1) are entered into a local area by a registered dealer from outside the State of Madhya Pradesh.

2. This notification shall come into force with effect from 1st April, 2011.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.